Order Sheet (Contd)

Case No.: ST/71/2021

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22.10.2021	अभियोजन द्वारा श्री दिनेश पंचोली अपर लोक अभियोजक। अभियुक्तगण जेल से पेश नहीं। प्रकरण आरोपी **दीपक** के **प्रथम जमानत** आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. आई.एन. नं. **1/2021** एवं अभियुक्त **रितेश** के **प्रथम जमानत** आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. आई.ए. नं. **2/2021** पर तर्क हेतु नियत है। अभियुक्त रितेश की ओर से अधिवक्ता द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए गए। आवेदन पत्रों पर आवेदक **दीपक** की ओर से श्री **चेतन शर्मा** अधिवक्ता एवं आवेदक **रीतेश** की ओर से श्री **शहजाद खान** अधिवक्ता को एवं अभियोजन की ओर से श्री पंचोली अपर लोक अभियोजक को सुना गया। **अभियुक्त दीपक** के आवेदन पत्र के अनुसार अभियुक्त का प्रकरण से कोई संबंध सरोकार नहीं है। झूंठा फंसाया गया है। कोई अपराध नहीं किया गया है। निर्दोष नहीं है। आरोपी ग्राम पिपल्दा तहसील जिला धार का निवासी है। भाग कर जाने की संभावना नहीं है। शिकायतकर्ता राजु से दीपक ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। कोई लेखा–जोखा नहीं किया। दीपक से कोई व्यवहार नहीं हुआ है। व्यर्थ आरोपी बनाया गया है। बुजुर्ग माता पिता की देखरेख करने वाला एकमात्र अकेला व्यक्ति है। पुलिस को कोई जप्ती करना आवेदक से शेष नहीं है एवं प्रार्थी भी पुलिस	

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-1.pdf

www.ecourtsindia.com

को कोई वस्तु जप्त नहीं कराना चाहता है। चालान भी पेश हो चुका है। सभी शर्तों का पालन करेगा। योग्य जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

अभियुक्त रितेश के आवेदन पत्र के अनुसार दिनांक 25. 06.2021 को गिरफ्तार कर पेश किया गया था। निर्दोष है। कोई अपराध नहीं किया है। असत्य आधारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नवयुवक होकर विद्यार्थी है। जेल में अधिक समय रहा तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चालान पेश हो चुका है। कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं है। महू का स्थाई निवासी है। अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। निर्देशित शर्तों का पालन करेगा। योग्य जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

अभियुक्त **दीपक** की ओर से अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान यह भी प्रकट किया गया है कि आवेदक के नाम पर अनुबंधपत्र नहीं है। फरियादी के साथ आवेदक की कोई बातचीत नहीं हुई है। आरोपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाए।

अभियुक्त **रितेश** की ओर से तर्क के दौरान यह प्रकट किया गया है कि आवेदक 21 साल का नवयुवक है। कोई आराधिक रिकार्ड नहीं है। बहन की शादी है, कार्ड की छायाप्रति पेश की गयी है। अभियोग पत्र पेश हो चुका है इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाए।

www.ecourtsindia.com

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-1.pdf

www.ecourtsindia.com

Order Sheet (Contd)

Case No.: ST/71/2021

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	दोनों आवेदनों पर विचार हेतु सत्र प्रकरण का अवलोकन किया गया।	

आरोपीगण के विरूद्ध सहअभियुक्तगण सहित आरक्षी केन्द्र महू के अपराध क्रमांक 233/2021 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.सं. के तहत पंजीबद्ध होकर अभियोग पत्र पेश होकर उपार्पण पर प्राप्त होकर विचाराधीन है। फरियादी राजू द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि उसकी स्विफ्ट डिजाइर कार क्रमांक एमपी09–टीए–9316 को दिनांक 04.03.2021 को देवन्द्र एवं उसके साथी श्यामसिंह, दीपक रघुवंशी(आवेदक), रितेश वर्मा(आवेदक) को किराये से टेक्सी में चलाने के लिए अनुबंध कर प्रतिमाह 30,000/–रूपये के हिसाब से दी थी। अनुबंध देवेन्द्र ठाकुर के नाम से लेख किया था परंतु देवेन्द्र ठाकुर द्वारा किराये के एवज में कोई राशि नहीं दी, वापिस लेने गयी तो बोला तुम्हारी गाड़ी को कूट रचित हस्ताक्षर बनाकर महेश रघुवंशी को दो लाख रूपये में गिरवी रख दिया। महेश रघुवंशी से संपर्क किया तो बताया कि गाड़ी देवेन्द्र ने गिरवी रखी है दो लाख रूपये दे देगा तो वापिस कर दूंगा। इसी तरह सादिक खान की स्वीफ्ट डिजायर क्र. डी.एल. 04 सी.ए. 5276, नवाब शाह की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी.टी. 2542, इमरान खान की ईको क्र. एम.पी.09 सी.के. 8642, जयंतीलाल गुर्जर की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी.ई. 0517, फारूख शाह की अर्टीगा क्र. एम.पी. 09 सी.एम. 6514, सुरेन्द्र की अर्टिगा कार

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-1.pdf

क्र. एम.एच. 04 जी.डी. 5840, निधि कपूर की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 04 एल.ए. 9900, महेश की एस प्रेसो क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 1911 प्रथम चरण सोनगरा की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 7266, जितेन्द्र रघुवंशी की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.वाय. 7012 टीयागो कार क्र. एम.पी. 09 सी.वाय. 2115 व अर्टिगा कार क्र. एम.पी. 09 सी. टी. 3811, आसिफ अली की आई टेन कार क्र. एम.पी. 16 सी.बी. 2798, जितेन्द्र गोयल की टाटा इंडिगो कार क्र. एम.पी. 09 सी.पी. 9388, मनीष चौहान की स्वीफ्ट डिजायर कार क्र. एम.पी. 09 सी.एन. 2139 निलेश की झायलो कार क्र. एम.पी. 04 बी.ए. 5043, फारूख खान की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.आर. 7573, विक्की देशवाल की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.डी. 8767 के किराये अनुबंध बनाकर अन्य व्यक्तियों को कूट रचित दस्तावेज बनाकर गिरवी रख दिया। फरियादी की शिकायत पर से आवेदक सहित सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर अन्वेषण के दौरान सहअभियुक्तगण एवं आवेदकगण के मेमोरेण्डम कथन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लेख किए गए और आवेदकगण की जानकारी के आधार पर आवेदकगण से कई वाहन जप्त होना जप्ती पत्रक से दर्शित है। आवेदकगणों के मेमोरेण्डम में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वाहन मालिकों की गाड़ी किराये पर चलाने का अनुबंध बनाकर लेने और तत्पश्चात गाड़ियों को अन्य व्यक्तियों को अनुबंध लेखकर फर्जी हस्ताक्षर कर छलपूर्वक अपने–अपने दोस्तों की गाड़ियां बताकर उनसे पैसा लेकर गिरवी रखने के तथ्य प्रकट किए गए हैं।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-1.pdf

www.ecourtsindia.com

Order Sheet (Contd)

Case No.: ST/71/2021

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदकगण के द्वारा फरियादी के अलावा अनेक व्यक्तियों से वाहन किराये पर लेने का अनुबंध कर किराया अदा न कर वाहनों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरवी रख कर छल और कूट रचना की गयी है। आरोपी दीपक के तर्क में प्रकट किए गए तर्क साक्ष्य की विषयवस्तु हैं। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में अपराध गंभीर प्रकृति का होने से आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः आवेदक **दीपक पिता विष्णु रघुवंशी (आई.ए. नं. 1)** एवं **रितेश पिता जीवन (आई.ए. नं. 2)** का **प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं.** स्वीकार योग्य न होने से **निरस्त** किया जाता है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 12.11.2021 को पेश हो। (श्रीमती शशि सिंह) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डा. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर म.प्र.	

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-1.pdf